


एंंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	 AMBIT Finvest Pragati ke partner
फेयर प्रैक्टिस कोड	

दस्तावेज नियंत्रण


वस्तु	विवरण
दस्तावेज का शीर्षक	फेयर प्रैक्टिस कोड
दस्तावेज स्वामी	श्री वसीम खान
दस्तावेज वर्गीकरण	नियामक

दस्तावेज संशोधन रिकॉर्ड (बदलाव इतिहास - बनाया / समीक्षित)

संस्करण	दस्तावेज इतिहास	नाम (द्वारा)	दिनांक	विवरण परिवर्तन की / टिप्पणियां	नियामक संदर्भ
1.0	बनाया था	-	16.05.2019	प्रयोज्यता नीति का	आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/45 मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर। पीडी. 008/03.10.119/2016-17
2.0	समीक्षित	-	24.06.2020 (तख्ता बैठक)	सालाना समीक्षा	-
3.0	समीक्षित	-	11.06.2021	सालाना समीक्षा	-
4.0	समीक्षित	अनुपालन	11.02.2022	नियामक परिवर्तन	संदर्भ। सीईपीडी पीआरडी. सं.एस873/13.01.01/2021-22
5.0	समीक्षित	अनुपालन	08.08.2022	सालाना समीक्षा	-

दस्तावेज स्वीकृति इतिहास (समीक्षा और स्वीकृत)

संस्करण	नाम	समीक्षा/अनुमोदन	दिनांक
1.0	तख्ता	अनुमोदन	मई 2019
2.0	तख्ता	अनुमोदन	जून 2020
3.0	तख्ता	समीक्षा और स्वीकृत	जून 2021
4.0	तख्ता	समीक्षा और स्वीकृत	फरवरी 2022
5.0	आरएमसी और बोर्ड की बैठक	समीक्षा और स्वीकृत	अगस्त 2022

एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	 AMBIT Finvest Pragati ke partner
फेयर प्रैक्टिस कोड	

अंतरवस्तु

1। पृष्ठभूमि:.....	3
2. संहिता का उद्देश्य:.....	3
3. उचित व्यवहार संहिता की प्रयोज्यता:	3
4. प्रकटीकरण:	7
5. समीक्षा और संशोधन	7

1। पृष्ठभूमि:

एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'द' के रूप में संदर्भित) 'AFPL'/'कंपनी' कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पंजीकृत सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ("NBFC-NDSI") रखने वाली है। कंपनी 01 सितंबर, 2018 से प्रभावी "व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण" गैर-जमा स्वीकार करने वाली या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी धारण करने वाली कंपनी बन गई है।

कंपनी एंबिट प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उचित व्यवसाय और कॉर्पोरेट प्रथाओं के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 ("दशानिर्देश") और सभी लागू एनबीएफसी को उल्लिखित दिशानिर्देशों के आधार पर उचित व्यवहार कोड लागू करने की आवश्यकता है। उक्त दिशाओं में।

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार और व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सभी उधार उत्पादों के लिए लागू कंपनी की उधार गतिविधियों के लिए निम्नलिखित उचित व्यवहार कोड (कोड) को अपनाने का प्रस्ताव है।

2. संहिता का उद्देश्य:

संहिता का मुख्य उद्देश्य-

- ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और न्यूनतम मानकों को स्थापित करके अच्छी, निष्पक्ष और भरोसेमंद प्रथाओं को बढ़ावा देना;
- उत्पाद की बेहतर समझ रखने और सूचित निर्णय लेने में ग्राहकों को सक्षम बनाने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेन-देन की प्रतिबद्धता से पहले ग्राहकों को उनके विचार के लिए व्यापक तरीके से प्रदान किए गए उत्पादों / सेवाओं के नियमों और शर्तों की सलाह दी जाती है;
- प्रदान की गई सुविधा के नियमों और शर्तों के अनुरूप निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ग्राहक खातों की निगरानी और प्रशासन करना;
- वसूली और प्रवर्तन, जहां आवश्यक हो, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है।
- एफ) निष्पक्ष प्रथाओं से संबंधित आरबीआई द्वारा निर्धारित लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए।

3. उचित व्यवहार संहिता की प्रयोज्यता:

I. ऋण के लिए आवेदन और उनका प्रसंस्करण:

- उधारकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ ऋण आवेदन पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें ऋण को नियंत्रित करने वाली व्यापक विशेषताएं, नियम और शर्तें शामिल होंगी, जिसमें आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले केवाईसी दस्तावेजों सहित दस्तावेजों की प्राथमिक सूची होगी। कोई दूसरा

दस्तावेज़, यदि आवश्यक हो, ऋण आवेदन के साथ जमा करने के लिए उधारकर्ता को अलग से सूचित किया जाएगा।

- बी) कंपनी का ऋण आवेदन भी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करता है, ताकि अन्य एनबीएफसी द्वारा पेश किए गए नियमों और शर्तों के साथ एक सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता द्वारा सूचित निर्णय लिया जा सके।
- सी) कंपनी संभावित उधारकर्ता को सभी ऋण आवेदनों के लिए एक पावती प्रदान करेगी। समय सीमा, जिसके भीतर ऋण आवेदनों का निपटारा किया जाएगा, पावती में इंगित किया जाएगा।
- डी) उधारकर्ता के साथ सभी संचार अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में/उधारकर्ता द्वारा समझी और पुष्टि की गई भाषा में होंगे।

द्वितीय. ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें-

- एक) कंपनी जोखिम आधारित दृष्टिकोण और कंपनी की ऋण नीति/नीतियों पर विचार करते हुए ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करेगी।
- बी) कंपनी ऋण लेने वाले को अंग्रेजी में या स्थानीय भाषा में/उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में स्वीकृति/स्वागत पत्र या एमआईटीसी (सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें) के माध्यम से या अन्यथा, स्वीकृत ऋण की राशि के साथ लिखित रूप में अवगत कराएगी। वार्षिक ब्याज दर और उसके आवेदन की विधि सहित नियम और शर्तें।
- सी) उधारकर्ता द्वारा बताए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति कंपनी द्वारा अपने रिकॉर्ड पर संरक्षित की जाएगी।
- डी) कंपनी स्वीकृति/स्वागत पत्र या अन्यथा और ऋण समझौते में देर से चुकौती के लिए लगाए गए दंडात्मक ब्याज का उल्लेख बोलड में करेगी।
- इ) कंपनी ऋण की स्वीकृति/वितरण के समय सभी ग्राहकों को ऋण समझौते में उद्धृत प्रत्येक संलग्नक की एक प्रति के साथ ऋण समझौते की एक प्रति प्रस्तुत करेगी।

III. नियमों और शर्तों में बदलाव सहित ऋणों का संवितरण-

- एक) कंपनी संवितरण कार्यक्रम, ब्याज दर, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदि सहित नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में उधारकर्ता को अंग्रेजी या स्थानीय भाषा / उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नोटिस देगी। ब्याज दरों में परिवर्तन और प्रभार संभावित रूप से प्रभावी होंगे और इस संबंध में एक उपयुक्त शर्त को ऋण समझौते में शामिल किया जाएगा।
- बी) समझौते के तहत भुगतान या प्रदर्शन को वापस बुलाने / तेज करने का निर्णय ऋण समझौते के अनुरूप होगा।
- सी) कंपनी सभी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली पर किसी भी वैध अधिकार या किसी अन्य दावे के लिए कंपनी के उधारकर्ता के खिलाफ धारणाधिकार के अधीन सभी प्रतिभूतियों को जारी करेगी। यदि सेट ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को इसके बारे में शेष दावों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ सूचित किया जाएगा और जिन शर्तों के तहत कंपनी संबंधित दावे का निपटान / भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने की हकदार है।

चतुर्थ। संवितरण के बाद पर्यवेक्षण-

- ए) कंपनी का निर्णय, यदि कोई हो, भुगतान को वापस लेने / भुगतान में तेजी लाने या ऋण के प्रदर्शन को ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

- बी) कंपनी ऋण को वापस लेने या भुगतान या प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए कहने से पहले ऋण समझौते और/या अन्य संबंधित दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों के अधीन उधारकर्ताओं को उचित समय देगी।
- ग) कंपनी के पास पड़े संपार्श्विक ऋणों के पूर्ण और अंतिम पुनर्भुगतान की प्राप्ति पर उचित समय के भीतर जारी किए जा सकते हैं, जो किसी भी वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार के अधीन है और कंपनी के उधारकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अन्य दावे के लिए सेट ऑफ किया जा सकता है। यदि सेट ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को इसके बारे में शेष दावों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ नोटिस दिया जाएगा और जिन शर्तों के तहत कंपनी संबंधित दावे का निपटान / भुगतान किए जाने तक संपार्श्विक को बनाए रखने की हकदार है।
- घ) ऐसे मामले में जहां उधारकर्ता ने उधारकर्ता को उधार लेने/पैसे निकालने की अनुमति दी है, जब और जब उधारकर्ता द्वारा आवश्यक हो, तो संपार्श्विक को कंपनी द्वारा परिचालन सुविधा के लिए और संभावित चूक से ब्याज की रक्षा के लिए भी रखा जा सकता है। उधारकर्ता द्वारा और कंपनी के सहयोगी/समूह कंपनी/कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए।

V. डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर लिए गए ऋण-

जहां कहीं भी कंपनी स्रोत उधारकर्ताओं को अपने एजेंट के रूप में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की आउटसोर्सिंग करती है या करती है और/या बकाया राशि वसूल करने के लिए, कंपनी निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेगी:

- ए) कंपनी की वेबसाइट पर एजेंटों के रूप में लगे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के नामों का खुलासा करना।
- बी) एजेंट के रूप में लगे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को ग्राहक को कंपनी का नाम, जिसकी ओर से वे उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, का खुलासा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- सी) ऋण समझौते की एक प्रति के साथ ऋण समझौते में उद्धृत सभी संलग्नकों की एक प्रति सभी उधारकर्ताओं को प्रस्तुत की जाएगी।
- घ) कंपनी द्वारा लगाए गए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रभावी निगरानी और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
- ई) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे।

VI. सामान्य प्रावधान-

- एक) कंपनी ऋण समझौते के नियमों और शर्तों में प्रदान किए गए उद्देश्यों को छोड़कर अपने उधारकर्ताओं के मामलों में हस्तक्षेप से दूर रहेगी।
- बी) उधारकर्ता से उधारकर्ता के खाते के हस्तांतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, सहमति या अन्यथा (कंपनी की आपत्ति), यदि कोई हो, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। ऐसा हस्तांतरण उधारकर्ता के साथ की गई पारदर्शी संविदात्मक शर्तों के अनुसार और समय-समय पर लागू होने वाले कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
- सी) ऋणों की वसूली के मामले में, कंपनी केवल उन्हीं उपायों का सहारा लेगी जो कानूनी रूप से वैध हैं और अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगी। विषम समय में उधारकर्ताओं को लगातार परेशान करना, ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग करना आदि।
- डी) कंपनी लिंग, जाति या धर्म के आधार पर, दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के साथ उत्पादों के विस्तार में अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।

समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं में भाग लेने जैसी कानून के तहत अनुमति के अलावा सेवाएं, सुविधाएं इत्यादि।

- इ) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है।
- एफ) कंपनी सह-बाध्यकारी (ओं) के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फोरक्लोज़र शुल्क / पूर्व-भुगतान दंड नहीं लगाएगी।

सातवीं। गोपनीयता-

- ए) जब तक ग्राहक द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, कंपनी अपने ग्राहकों की सभी व्यक्तिगत जानकारी को निजी और गोपनीय मानेगी।
- बी) कंपनी निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, समूह के भीतर सहित किसी भी अन्य संस्था को उधारकर्ताओं के लेन-देन के विवरण प्रकट नहीं कर सकती है:
- कंपनी का यह कर्तव्य है कि वह वैधानिक या नियामक कानूनों द्वारा सूचना प्रदान करे जिसमें सांविधिक निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे CIBIL आदि, RBI और या अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों, किसी अन्य राज्य, केंद्र या किसी अन्य नियामक को जानकारी शामिल है। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों सहित अधिकार क्षेत्र वाले निकाय।
 - ग्राहक ने ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए लिखित रूप में कंपनी को अधिकृत किया है।
 - यदि ऐसी ग्राहक जानकारी का खुलासा करना जनहित में है।
 - यदि इसके हित के लिए हमें यह जानकारी प्रदान करना आवश्यक है (उदा. धोखाधड़ी की रोकथाम)।
 - यदि उधारकर्ता कंपनी के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने में चूक करता है।

आठवीं। ब्याज दर-

- अ) कंपनी की अलग ब्याज दर नीति होगी लेकिन किसी भी स्थिति में, यह सुनिश्चित करेगी कि वह अपने उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज दर नहीं वसूलेगी।
- बी) कंपनी अपने ग्राहकों के लिए ब्याज दर पर पहुंचेगी, जिसमें ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल, मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दर के रुझान, धन की लागत, ग्राहक द्वारा दी गई संपार्श्विक सुरक्षा / सौदे की संरचना जैसे व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। और प्रतिस्पर्धियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर।
- ग) ब्याज दरें वार्षिक आधार पर होगी और स्वीकृति/स्वागत पत्र या एमआईटीसी या अन्यथा पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित की जाएंगी।
- घ) अधिसूचना संख्या के अनुसार। एनबीएफसी द्वारा लगाए गए अत्यधिक ब्याज के विनियमन के संबंध में डीएनबीएस.204/सीजीएम (एएसआर)-2009 दिनांक 2 जनवरी 2009, कंपनी ने संबंधित कारकों जैसे कि फंड की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम, आदि को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर नीति अपनाई है। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण करना। ब्याज दर नीति में ब्याज दर और जोखिम के स्तरीकरण के दृष्टिकोण और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के औचित्य को भी शामिल किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है। जब भी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन होता है तो वेबसाइट में प्रकाशित या अन्यथा प्रकाशित सूचना को अद्यतन किया जाएगा।

IX. निदेशक मंडल की जिम्मेदारी-

कंपनी के निदेशक मंडल ने संगठन के भीतर एक अलग शिकायत निवारण नीति के माध्यम से उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र को अपनाया है। ऐसा तंत्र सुनिश्चित करेगा कि उधार देने वाली संस्थाओं के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद '

अधिकारियों, क्रेडिट जानकारी को अद्यतन करने/बदलने से संबंधित शिकायतों और आउटसोर्स सेवाओं से संबंधित शिकायतों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटारा जाता है। निदेशक मंडल को प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की समेकित आवधिक समीक्षा प्रदान की जाएगी।

4. प्रकटीकरण:

दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 'उचित व्यवहार संहिता', कंपनी कंपनी की वेबसाइट पर अंग्रेजी में और कंपनी की सभी शाखाओं में अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में उचित व्यवहार कोड प्रकाशित और प्रसारित करेगी, और कोई भी उधारकर्ता या ग्राहक जो इसे प्राप्त करना चाहता है, कंपनी से अनुरोध है कि वह उपलब्ध कराएं।

5. समीक्षा और संशोधन:

इस नीति की समीक्षा की जाएगी और किसी भी बदलाव के लिए समय-समय पर इसे अपडेट किया जाएगा।

"यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्टीकरण, परिपत्रों या दिशानिर्देशों या किसी अन्य नाम से जारी कोई संशोधन, जो इस संहिता के तहत निर्धारित मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सकता है, तो ऐसे संशोधनों / स्पष्टीकरणों के प्रावधान, आरबीआई संचार में निहित प्रावधानों पर प्रबल होगा और उसी के अनुसार आरबीआई की इस तरह की विज्ञप्ति के तहत निर्धारित तारीख से प्रभावी होगा।